न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या–   /2021

CNR No. UPBB180002922021

जगजीवन गुप्ता   बनाम   रामधन रावत आदि

17.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग–7 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र ग–6 में यह कथन किया गया है कि गाटा संख्या 292 रकबा 0.0740 हे० स्थित ग्राम भौसिंहपुर मजरे दुल्लापुर परगना सूर्यपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी का वादी अन्य सहखातेदारों के साथ संक्रमणीय भूमिधर है। प्रतिवादीगण सरहंग व बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा विवादित भूमि पर कब्जा करके भवन निर्माण कार्य करना चाहते हैं। अतः यह प्रार्थना की गयी है कि प्रतिवादीगण को गाटा संख्या 292 रकबा 0.0740 हे० स्थित ग्राम भौसिंहपुर मजरे दुल्लापुर परगना सूर्यपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी पर अवैध रूप से कब्जा करके हस्तक्षेप से रोके जाने का आदेश पारित करने की कृपा की जावे। वादी द्वारा अपने समर्थन में सूची ग–9 से उद्धरण खतौनी ग–10, खसरा ग–11 तथा नक्शा ग–12 दाखिल किये गये हैं।

वादी द्वारा दाखिल किये गये खसरा व खतौनी के अवलोकन से विदित होता है कि वादी उक्त गाटा संख्या पर बतौर सहखातेदार अंकित है। हालांकि वादी के अतिरिक्त उक्त गाटा संख्या पर अन्य सहखातेदार भी अंकित हैं, इस विषय में वादी द्वारा वाद पत्र की धारा 4 में यह कथन किया गया है कि वादी तथा उनके सहखातेदारों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, मात्र प्रतिवादीगण से वादी का विवाद है, जबकि प्रतिवादीगण का उपरोक्त गाटा नम्बर से कुछ लेना देना नहीं है। मात्र सरहंगी की बिना पर प्रतिवादीगण इस प्रकार की घटना को कारित कर रहे हैं। वाद पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों में कोई निषेधाज्ञा पारित न करने पर वाद के उद्देश्य के विफल होने तथा वादी को अपूर्णनीय क्षति होने की सम्भावना है।

आदेश

प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि वह अग्रिम नियत तिथि तक विवादित भूमि गाटा संख्या 292 रकबा 0.0740 हे० स्थित ग्राम भौसिंहपुर मजरे दुल्लापुर परगना सूर्यपुर तहसील रामसनेहीघाट जिला बाराबंकी, जैसा कि राजस्व नक्शे में दिखाया गया है, पर वादी के कब्जा व दखल में कोई हस्तक्षेप न करें।

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण ग–6 दिनांक 17.12.2021 को पेश हो।

वादी आदेश–39 नियम–03 जाप्ता दीवानी का अनुपालन अविलम्ब करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

<u>17.11.2021</u>

प्रार्थना–पत्र ग–13 पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादीगण पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।